न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी सुनीता चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 218/2017 एल.आर. एक्ट

1 सीता पुत्री खेताराम, जाति जाट, निवासी खुईया, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 सुरेन्द्र पुत्री खेताराम, जाति जाट, निवासी खुईया, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3 सोनू पुत्री खेताराम, जाति जाट, निवासी खुईया, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4 सोहनलाल पुत्र खेताराम, जाति जाट, निवासी खुईया, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5 रामचन्द्र पुत्र खेताराम, जाति जाट, निवासी खुईया, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6 पवन कुमार पुत्र सोहनलाल, जाति जाट, निवासी खुईया, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र खेताराम, जाति जाट, निवासी खुईया, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राधा पुत्री खेताराम, जाति जाट, निवासी खुईया, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. कुनणी पुत्री खेताराम, जाति जाट, निवासी खुईया, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. भगवानाराम पुत्र खेताराम, जाति जाट, निवासी खुईया, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5 हरीराम पुत्र खेताराम, जाति जाट, निवासी खुईया, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6 सुरेश कुमार पुत्र हरिराम, जाति जाट जरिए कुदरती वली माता संतोष पत्नि हरिराम, जाति जाट निवासी खुईया, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7 जयप्रकाश पुत्र इन्द्राज, जाति जाट निवासी खुईया, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8 गौरीशंकर पुत्र इन्द्राज, जाति जाट निवासी खुईया, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9 राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व नोहर।

रेस्पोडेन्ट्स

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थितः 1. श्री हरीश मदान – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सत्यपाल सहू – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांकः 08–02–2021

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 27–04–2016 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट के विरूद्व इस आश्य की अपील पेश की कि, अपीलान्ट के माता की खुद की खरीदशुदा खातेदारी भूमि रोही मौजा खुईया में 61.10 बीधा बारानी भूमि है, जो खेताराम ने अपनी मृत्यु से पूर्व उप पंजियक नोहर से दिनांक 21.08.1997 को समस्त भूमि की वसीयत कर दी थी। अपीलान्ट की माता की मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के बाद मुताबिक वसीयत अपीलान्ट को राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल करने हेतु कार्यवाही की फिर भी तहसीलदार नोहर द्वारा वसीयत के इन्तकाल को नही करते हुये विरास्तन इन्तकाल दर्ज कर दिया जो अपास्त योग्य हे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.04.2016 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार नोहर द्वारा पारित निर्णय 21.10.2008 बाबत इन्तकाल सं. 876 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार नोहर को रिमाण्ड कर दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आदेश दिया। जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मिमो के बिन्दुओं को दोहराते हुए बहस कर कंहा कि जिस वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट इन्द्राज विवादित विरास्तन इन्तकाल को निरस्त करवाना चाहता है, उक्त वसीयत को सिविल न्यायालय में चैलेंज कर रखा है। सिविल वाद मे स्वय रेस्पोडेन्ट इन्द्राज हाजिर है। मामला सिविल न्यायालय मे विचाराधीन होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी वसीयत को मानते हुए विरास्तन इन्तकाल खारिज कर दिया। कानून का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि जहा रेगुलर वाद चल रहा हो

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वहां इन्तकाल की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए। सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2016 को स्थगन आदेश भी पारित किया हुआ है कि वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड मे परिवर्तन नही किया जावे तथा उक्त कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द, रहनबय नही करे। जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को भी दे दी गई थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिविरूद्व होने की वजह से अपास्त योग्य है। लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2016 को अपास्त किया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 के विद्वान अभिभाषक ने बहस कर कंहा कि रेस्पोडेन्ट के माता की खुद की खरीदशुदा खातेदारी भूमि रोही मौजा खुईया में खाता सं. 57 में खसरा नं. 421/44, 14, खसरा नं. 422/16. 16 बीधा कुल 2 किता की 61.10 बीधा बारानी भूमि है, जो खेताराम ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी इच्छा से उप पंजियक नोहर से दिनांक 21.08.1997 को समस्त भूमि की वसीयत खसरा नं. 421/44, 14 मे से अपने पौत्र पवन कुमार पुत्र सोहनलाल को 5.02 बीधा, सुरेश कुमार पुत्र हरिराम को 9.07 बीधा, जयप्रकाश गौरीशंकर पि. इन्द्राज को 7.01 बीधा तथा खसरा नं. 421 की 23.04 बीधा की शेष में से रामचन्द को 8 बीधा हरिराम को 8 बीधा, इन्द्राज को खसरा नं. 421 की 7.04 बीधा तथा खसरा नं. 422 में 16 बिस्वा कुल 8 बीधा तथा खसरा नं. 422 की 8 बीधा भगवानाराम 8 बीधा सोहनलाल को वसीयत कर दी थी। रेस्पोडेन्ट के माता की मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के बाद मुताबिक वसीयत को राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल करने हेतु कार्यवाही की तथा अखबार में साया करवा दिया फिर भी तहसीलदार नोहर द्वारा वसीयत के इन्तकाल को नही करते हुये विरास्तन इन्तकाल दर्ज कर दिया। तहसीलदार नोहर ने इन्तकाल करते वक्त प्रस्तुत वसीयत तथा अन्य दस्तावेज पर गोर नही किया। रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार को जरिये प्रार्थना पत्र तथा रजिस्टर्ड वसीयत व मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर मुताबिक वसीयत कार्यवाही कर रखी थी और सूचना अखबार में भी प्रकाशित हो चुकी थी। सिविल कोर्ट का स्थगन आदेश था उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पारित हुआ है। इसके अलावा अपर जिला

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायाधीश सं. 1 नोहर जिला हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 27.08.2019 द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण सुरेन्द्र आदि की ओर से प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण भगवानाराम आदि के विरूद्व अपील अस्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनाक 31.03.2016 की पुष्टि की है। यह कहते हुवे उन्होने अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 नोहर जिला हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 27.08.2019 की प्रमाणित प्रति पेश की। इस प्रकार अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 नोहर जिला हनुमानगढ ने भी वसीयत को सही मान लिया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किया जावे।

6. अभिभाषक अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए कंहा कि यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.04.2016 के विरूद्व पेश हुई है, इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को देखना है, आज की स्थिति नही देखनी है। जिस समय अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया वो सही नही था, इसलिए अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

7. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है।

अपील में मुख्य विवाद वसीयत का है। अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि मामला सिविल न्यायालय मे विचाराधीन था तो अधीनस्थ न्यायालय को विरास्तन इन्तकाल खारिज नही करना चाहिए।

अभिभाषक अपीलान्ट ने वसीयत को विवादित बताया। वसीयत सम्बन्धी प्रश्न विवादास्पद होने पर इस प्रश्न का विनिर्णय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान पेश अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 नोहर, जिला हनुमानगढ द्वारा सुरेन्द्र वगैरह बनाम भगवानाराम निर्णय दिनांक 27.08.2019 द्वारा अपील अस्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनाक 31.03.2016 की पुष्टि की है। इस प्रकार न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 नोहर, जिला हनुमानगढ ने वसीयत को सही मान लिया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2016 को इस न्यायालय द्वारा अब कोई भी हस्तक्षेप करने का

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 नोहर, जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 27.08.2019 अनुसार विवादित वसीयत को सही माने जाने के कारण अति. जिला कलक्टर नोहर के निर्णय में कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 27–04–2016 यथावत रखा जाता है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 08–02–2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

8/2/21.

(सुनीता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर